जन–सुनवाई कार्यवृत्त

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स श्री करणी कृपा मिनरल्स, एम.एल. नम्बर 22/2024, रेफरेन्स नम्बर 202410000108820, क्षेत्रफल 3.0388 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 2,58,100 टी.पी.ए. (रोम), (सेलेबल बॉल क्ले–1,46,250 टी.पी.ए., सेलेबल सिलिका सेंड–78,000 टी.पी.ए., वेस्ट – 16,250 टी.पी.ए. एवं ओवर बर्डन–17,600 टी.पी.ए.) निकट ग्राम–जयसिंहदेसर मगरा–नोखा, जिला–बीकानेर, **{कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 8.2377 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–6,56,615 टी.पी.ए.(रोम)} में स्थित है,** में अप्रधान खनिज बॉल क्ले एवं सिलिका सेंड के खनन की पर्यावरण स्वीकृति हेतु जनसुनवाई जिला कलक्टर बीकानेर के प्रतिनिधि श्री गोपाल जाँगिड़, उपखण्ड अधिकारी, नोखा, बीकानेर की अध्यक्षता में एवं क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर के प्रतिनिधि श्री गिरीश व्यास, सहायक पर्यावरण अभियन्ता की उपस्थिति में **ग्राम पंचायत भवन जयसिंहदेसर मगरा, तहसील–नोखा, जिला–बीकानेर** में दिनांक 03.06.2025 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की गई। उक्त क्लस्टर क्षेत्र में आने वाली खनन इकाईयों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.स.	खनन इकाई का नाम	एम.एल. नम्बर/ रेफरेन्स नम्बर	खनन इकाई का क्षेत्रफल	खनन इकाई की उत्पादन क्षमता
1	मैसर्स श्री करणी कृपा मिनरल्स	एम.एल. नम्बर 22/2024, रेफरेन्स नम्बर 202410000108820	3.0388 हैक्टेयर	2,58,100 टी.पी.ए. (रोम)
2	**मैसर्स श्री धर्मचन्द विश्नोई**	**एम.एल. नम्बर 92/2019**	**2.2485 हैक्टेयर**	**2,82,640 टी.पी.ए**
3	**मैसर्स श्री रतिराम विश्नोई**	**एम.एल. नम्बर 20/2018**	**2.9504 हैक्टेयर**	**1,15,875 टी.पी.ए.**

जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट "अ"** पर सलंग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति दिनांक 01.05.2025 को समाचार पत्र 'द इण्डियन एक्सप्रेस' एवं 'दैनिक युगपक्ष' में प्रकाशित करवाई गई थी जिसकी प्रतियाँ **परिशिष्ट "ब"** पर संलग्न है। श्री गिरीश व्यास, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर का क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर के प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित होने हेतु स्वीकृति पत्र **परिशिष्ट "स"** पर संलग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बीकानेर के प्रतिनिधि ने सभी आगुन्तको का स्वागत करते हुए अवगत करवाया कि उक्त जनसुनवाई वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचनाओं में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर द्वारा आयोजित की जा रही है जिसमें जिला कलक्टर महोदय की तरफ से उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उक्त

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
नोखा

जन सुनवाई की सूचना दो समाचार पत्रों में 30 दिवस पूर्व दी जा चुकी है। क्षेत्रीय अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को बताया गया कि उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी खनन परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी। सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात उपस्थित आमजन खनन परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति या सुझाव दर्ज करवा सकते है। उक्त जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। जनसुनवाई की विडियोग्राफी एवं दिये गये आक्षेप/सुझाव क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) को प्रेषित कर दिये जायेगें। इसके पश्चात उपखण्ड अधिकारी, नोखा की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु **मैसर्स श्री करणी कृपा मिनरल्स** के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **"मैसर्स वाइब्रेंट टैक्नो लैब प्रा.लि."** को आमंत्रित किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **"मैसर्स वाइब्रेट टैक्नोलैब प्रा.लि."** के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत बताया गया कि उक्त खनन परियोजना निकट ग्राम जयसिंहदेसर मगरा, तहसील–नोखा जिला–बीकानेर में अप्रधान खनिज–बॉल क्ले एवं सिलिका सेंड के खनन हेतु प्रस्तावित है **जिसका एम.एल. नम्बर 22/2024, रेफरेन्स नम्बर 202410000108820,** कुल खनन क्षेत्रफल **3.0388** हेक्टेयर तथा उत्पादन क्षमता **2,58,100 टी.पी.ए. (रोम)** {**कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 8.2377 हैक्टेयर एवं कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–6,56,615 टी.पी.ए.(रोम)**} होगी। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, क्लस्टर परियोजना का विवरण मय नक्शा, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारे में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में बताया।

खनन इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी महोदय के प्रतिनिधि द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

सर्वप्रथम श्री हेतराम, निवासी जयसिंहदेसर मगरा द्वारा आक्षेप लगाते हुए कहा गया कि परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा खनन परियोजना का जो विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है उसमें गाँव के निकट की तीन नाडियों को इन्द्राज नहीं किया गया है। उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार को इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने हेतु कहा गया। जिसके प्रत्युत्तर में परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा बताया गया कि खनन परियोजना के विस्तृत विवरण में मौसमी नाडियों की जानकारी नहीं दी गई है जिस पर श्री हेतराम द्वारा आपत्ति दर्ज करते हुए कहा गया कि गाँव के निकट की तीनों नाडियाँ में पूरे साल भर पानी रहता है। श्री हेतराम द्वारा यह भी आपत्ति की गई की इनके द्वारा क्षेत्र का सर्वे सही तरह से नहीं किया गया है साथ ही अन्य जानकारियाँ जैसे डाकघर एवं स्वास्थ्य केन्द्र की भी जानकारीयाँ सर्वे में सही नहीं दर्शायी गयी है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
नोखा

उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार को श्री हेतराम द्वारा लगाये गये आक्षेपों के बारे में सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा बताया गया कि सर्वे में केवल मुख्य नाडियों एवं तालाबों को ही इन्द्राज किया जाता है छोटी एवं मौसमी नाडियों एवं नालो को सम्मिलित नहीं किया जाता है। साथ ही परियोजना के तकनीकी सलाहकार द्वारा यह भी बताया गया कि त्रुटि पूर्वक स्वास्थ्य केन्द्र की गलत जानकारी दी गयी है जिसे संशोधित कर दिया जायेगा।

उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार से प्रस्तावित खनन इकाई से जनित उच्छिष्ठ जल के बारे में जानकारी चाही गयी। जिसके प्रत्युत्तर में परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित खनन इकाई से किसी प्रकार जल उच्छिष्ठ उत्पन्न नहीं होगा।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय के प्रतिनिधि द्वारा परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार से खनन परियोजना के विस्तृत विवरण में दर्शाये गये प्रस्तावित खनन इकाई के मैप में पास ही स्थित जल स्त्रोत (Water body) के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई जिसके प्रत्युत्तर में परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित खनन इकाई के पास जल स्त्रोत (Water body) न होकर समीप ही स्थित अन्य खनन इकाई की पिट है।

श्री हेतराम द्वारा पुनः आपत्ति दर्ज करवायी गयी की इस क्षेत्र में 100 से अधिक किसानों की जमीन को बिना उनकी सहमति के किसी खनन इकाई के नाम इन्द्राज कर दी गई है। जिसके प्रत्युत्तर में उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा कहा गया कि यह प्रस्तावित जनसुनवाई का विषय नहीं है। इस सम्बन्ध में आप लिखित शिकायत अलग से उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है।

श्री जगदीश चन्द्र, निवासी जयसिंहदेसर मगरा द्वारा आक्षेप लगाते हुए कहा गया कि पूर्व में संचालित खनन इकाईयों द्वारा गाँव के विकास हेतु शिक्षा एवं स्वास्थ्य में कोई योगदान नहीं दिया गया है। साथ ही श्री जगदीश चन्द्र द्वारा सामुदायिक विकास पर किये जाने वाले खर्च सम्बन्धी प्रावधानों की जानकारी चाही गयी। उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार को इस सम्बन्ध में जानकारी देने हेतु कहा गया। परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रस्तावित खनन इकाई द्वारा सामुदयिक विकास में सहयोग हेतु 2.50 लाख की राशि का प्रावधान किया गया है।

श्री जगदीश चन्द्र, निवासी जयसिंहदेसर मगरा द्वारा बताया गया कि पूर्व में संचालित खनन इकाईयों द्वारा वृक्षारोपण नहीं किया गया है। साथ ही श्री जगदीश द्वारा निवेदन किया गया कि प्रस्तावित खनन इकाई को पर्यावरण स्वीकृति तभी जारी की जाये जब वे वृक्षारोपण हेतु सहमत हो जाये। उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार को खनन इकाई द्वारा किये जाने वाले व्यय की रिपोर्ट की एक प्रति ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा करवाने एवं इसका ग्राम सभा में वाचन करवाने हेतु निर्देशित किया गया।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
नोखा

श्री हेतराम, निवासी जयसिंहदेसर मगरा द्वारा निवेदन किया गया कि खनन कार्य के दौरान श्रमिकों के साथ होने वाली दुर्घटना से निपटने हेतु गाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण करवाया जाना चाहिये। जिसके प्रत्युत्तर में उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि गाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करना नीतिगत विषय है जिस सम्बन्ध में प्रस्ताव सरकार को अलग से भिजवा दिये जायेगें। खनन कार्य के दौरान दुर्घटना होने पर पीड़ित को प्राथमिक स्वास्थ्य देना खनन मालिक का नैतिक कर्तव्य है। श्री हेतराम द्वारा खनन इकाई में पानी के स्त्रोत की भी जानकारी चाही गयी। जिसके प्रत्युत्तर में खनन इकाई के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि खनन इकाई में पानी हेतु स्वयं के ट्यूबवैल का उपयोग किया जायेगा। क्षेत्रीय अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा खनन इकाई के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित विभाग से सक्षम अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही ट्यूबवैल का निर्माण करवाया जाये।

श्री जगदीश चन्द्र, निवासी जयसिंहदेसर मगरा द्वारा उपखण्ड अधिकारी महोदय को खनन इकाई के प्रतिनिधि द्वारा गाँव में स्थित तालाब के पानी का उपयोग नहीं किये जाने हेतु निर्देशित करने का निवेदन किया। उपखण्ड अधिकारी महोदय खनन इकाई के प्रतिनिधि को गाँव के तालाब का पानी खनन कार्य में उपयोग न करने हेतु निर्देशित किया। जिसके प्रत्युत्तर में खनन इकाई के प्रतिनिधि द्वारा गाँव के तालाब का पानी खनन कार्य में उपयोग न करने की सहमति दी गई।

उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में ग्राम वासियों द्वारा उठाये गये मुद्दों की सराहना करते हुए खनन मालिक को जनसुनवाई में उठाये गये मुद्दों का नियमानुसार निश्चित समयावधि में समाधान करने हेतु निर्देशित किया। साथ ही उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा ग्रामवासियों को अवगत करवाया गया कि खनन इकाई द्वारा नियमों की पालना नहीं करने पर प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर अथवा उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, नोखा में शिकायत दर्ज करवायी जा सकती है।

अन्त में ग्रामवासियों द्वारा अन्य कोई आपत्ति/आक्षेप प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी महोदय की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी के प्रतिनिधि ने जनसुनवाई के समापन की घोषणा की एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय तथा उपस्थित जन समुदाय का जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जनसुनवाई के दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात ग्राम पंचायत ग्रामवासियों के माध्यम से लिखित में कोई भी आक्षेप इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

(गिरीश व्यास)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता,
रा.रा.प्र.नि.म., बीकानेर

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, नोखा
बीकानेर
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
नोखा

जन सुनवाई हेतु नामित पदाधिकारियों एवं नागरिकों का उपस्थिति पत्र

प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स श्री करणी कृपा मिनरल्स, एम.एल. नम्बर 22/2024, रेफरेन्स नम्बर 202410000108820, क्षेत्रफल 3.0388 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 2,58,100 टी.पी.ए. (रोम), (सेलेबल बॉल क्ले–1,46,250 टी.पी.ए., सेलेबल सिलिका सेंड– 78,000 टी.पी.ए., वेस्ट – 16,250 टी.पी.ए. एवं ओवर बर्डन–17,600 टी.पी.ए.) निकट ग्राम–जयसिंहदेसर मगरा–नोखा, जिला–बीकानेर जो कि क्लस्टर परियोजना {मैसर्स श्री करणी कृपा मिनरल्स, एम.एल. नम्बर 22/2024, रेफरेन्स नम्बर 202410000108820, क्षेत्रफल 3.0388 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 2,58,100 टी.पी.ए. (रोम), (सेलेबल बॉल क्ले–1,46,250 टी.पी.ए., सेलेबल सिलिका सेंड– 78,000 टी.पी.ए., वेस्ट – 16,250 टी.पी.ए. एवं ओवर बर्डन–17,600 टी.पी.ए.); मैसर्स श्री धर्मचन्द विश्नोई एम.एल. नम्बर 92/2019, क्षेत्रफल 2.2485 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 2,82,640 टी.पी.ए.; मैसर्स श्री रतिराम विश्नोई एम.एल. नम्बर 20/2018, क्षेत्रफल 2.9504 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,15,875 टी.पी.ए.} कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 8.2377 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–6,56,615 टी.पी.ए.(रोम) में स्थित है में बॉल क्ले एवं सिलिका सेंड के खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 03.06.2025 को आयोजित जन सुनवाई की बैठक ।

स्थानः– ग्राम पंचायत जयसिंहदेसर मगरा, तहसील–नोखा, जिला–बीकानेर
दिनांकः–03.06.2025 समय प्रातः 11.00 बजे।

क्र.स.	नाम	पद एवं विभाग/कार्यालय/निवासी	हस्ताक्षर
1.	गोपाल [illegible]	उपखण्ड अधिकारी नोखा	[signature]
2.	Girish [illegible]	AEE, RSPCB	[signature]
3.	[illegible]	सरपंच (पुरा मगरा)	[signature]
4.	अरविन्द सिंह	[illegible] ओनर	अरविन्द सिंह
5.	गोविन्द	गोविन्द	गोविन्द
6.	[illegible]	[illegible]लाल	[signature]
7.	भवरलाल	J.D. मगरा	
8.	लक्ष्य	बीकानेर	[signature]
9.	[illegible]	J.D.	(मगरा)
10.	शंकरलाल		
11.	शंकरलाल	J D	(मगरा)

12.	हनुमान सिंह	J. D. मगरा	हनुमानसीह
13.	नारायण सिंह	J. D. मगरा	नारायणसिंह
14.	हेतराम	J. D. मगरा बीकानेर	[illegible]
15.	पीयूष	बीकानेर	Piyush
16.	राजेन्द्रसिंह	J. D. मगरा	राजेन्द्रसिंह
17.	जनकरी	J. D. मगरा	
18.	भवनकुमार	J. D. मगरा	भवनकुमार
19.	मदनसिंह	J. J. मगरा	मदनसिंह
20.	अनोप सिंह	J. D. मगरा	
21.	परमवीरसिंह	J. D. मगरा	P. Singh
22.	गोपालसिंह	J. D. मगरा	गोपालसिंह
23.	प्रतापसिंह	J. D. मगरा	प्रतापसिंह
24.	रूपराम कुमार	J D मगरा	[illegible]
25.	[illegible] कुमार	J. D मगरा	[illegible]
26.	मनोज	J. D मगरा	[illegible]
27.	धर्माराम	J. D. मगरा	
28.	सन्तोष	J. D. मगरा	सन्तोष
29.	महेन्द्रसिंह	खारड़की	महेन्द्रसिंह
30.	भवानी सिंह	खारड़की	B Singh
31.	प्रेम यादव	बीकानेर	[illegible]
32.	गावड़ी गोपालसहाय	बीकानेर	[illegible]
33.	श्यामसिंह	सियाणा	[illegible]
34.	प्रेम कुमार	कुम्हार	प्रेम

35.	सुरेश कुमार	VDO.	[illegible]
36.	Deepika Purohit	Vikas Khandela	Deepika
37.	Manisha Tanwar	" " "	
38.	Rajkumar Yadav	" " "	
39.	जगदीश चन्द्र	जयसिंह देवरा (मारा)	[illegible]
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			
56.			
57.			

☎ 0151-2250006

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
Plot No SPL-33, Phase-2nd, Bhichhwal Indusrial Area,
Bikaner – 334001
Email:-ro.bikaner@gmail.com **environnment.rajasthan.gov.in**

राप्रनिम / क्षे.का. / बीका / बी.एम.–777/664-665	दिनांक 03/06/2025

उपखण्ड अधिकारी
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी,
नोखा, जिला–बीकानेर

विषयः– खनन परियोजना मैसर्स श्री करणी कृपा मिनरल्स, एम.एल. नम्बर 22/2024 रेफरेन्स नम्बर 202410000108820, निकट ग्राम जयसिंहदेसर मगरा, तहसील–नोखा, जिला–बीकानेर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जन सुनवाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स श्री करणी कृपा मिनरल्स, एम.एल. नम्बर 22/2024 रेफरेन्स नम्बर 202410000108820, निकट ग्राम जयसिंहदेसर मगरा, तहसील–नोखा, जिला–बीकानेर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई दिनांक 03.06.2025 को प्रातः 11.00 बजे ग्राम पंचायत भवन जयसिंहदेसर मगरा, तहसील–नोखा, जिला–बीकानेर में आयोजित की जानी है।

इसी क्रम में लेख है अपरिहार्य कारणों से अधोहस्ताक्षरकर्ता उक्त जनसुनवाई में उपस्थित होने में असमर्थ है। अतः अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा श्री गिरीश व्यास, सहायक पर्यावरण अभियन्ता को जनसुनवाई में उपस्थित होने बाबत मनोनीत किया जाता है।

सूचनार्थ सादर प्रेषित।

भवदीय,

(राजकुमार मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः– श्री गिरीश व्यास, सहायक पर्यावरण अभियन्ता को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी